

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर

क्र..... 601 / एफ—2—80 / 31 / एस—2 / 2021,

नवा रायपुर, दिनांक 07/02/2022

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कोण्डागांव जिले के विकासखण्ड—माकड़ी की भेलवापारा से डोंगरीपारा मार्ग में स्टापड़ेम सह पुलिया निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र.—189 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2021 / 10100, अटल नगर दिनांक 03.12.2021.

राज्य शासन एतद् द्वारा कोण्डागांव जिले के विकासखण्ड—माकड़ी की भेलवापारा से डोंगरीपारा मार्ग में स्टापड़ेम सह पुलिया निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 284.65 लाख (रु. दो करोड़ चौरासी लाख पैसठ हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना निस्तारी, भूजल संवर्धन, पेयजल, आवागमन एवं कृषकों के स्वयं के साधन से 75 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष 4702—लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय {102}-भू—तल जल, 0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना —(5059)—एनीकट/स्टापड़ेम का निर्माण #97— निर्माण कार्य, 003—बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 03.01.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

10 FEB 2022

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Pandit Prem Singh
07/02/2022

(प्रेमसिंह घरन्द)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

पु.क्र.....**602**...../एफ-2-80/31/एस-2/2021,

नवा रायपुर, दिनांक **०७**/०२/२०२२

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मण्डल जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

*पु.क्र
०७/०२/२०२२*
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
N